

न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला -बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 529 / 2010
संस्थित दिनांक-24.12.2010

म.प्र. राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र ठीकरी जिला बड़वानी अभियोगी

वि रु द्ध

अय्युब पिता कम्मू खान, आयु-52 वर्ष,
निवासी मल्हार पल्टन 230 / 1 फकीर
मोहल्ला, इन्दौर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)अभियुक्त

राज्य द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री ए.जी.शेख अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 14 / 12 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 161 / 10 के आधार पर दिनांक 22.09.2010 को समय 07.00 बजे स्थान घोलानिया फाटा ए.बी. रोड में लोकमार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-9044 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर उसकी टक्कर आयशर को मारकर राकेश, भारत, लक्ष्मण, सावन तथा राकेश का जीवन संकटापन्न करने, राकेश, भारत, लक्ष्मण को उपहत्या कारित करने तथा सावन और राकेश की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के लिये भा.द.वि. की धारा- 279, 337 (2 शीर्ष), 304-ए (2 शीर्ष) का अभियोग है ।

02. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2010 को राकेश पिता मनीराम ने थाना ठीकरी में यह प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया था कि वह आयशर क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-3441 पर क्लिनर है तथा ड्रायवर राकेश के साथ राजपुर से आयशर वाहन में मिर्ची भरकर मिर्ची मालिक के साथ भोपाल जा रहा था । घोलानिया फाटे के पास ठीकरी की ओर से ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-9044 का चालक ट्रक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाकर आया और डिवाइडर कास करके गलत साईड से घुसकर उसकी आयशर को सामने से टक्कर मार दी थी । जिससे उसके सिर में, दोनों पैरों में तथा कमर में चोट आयी थी । उसके साथ श्रवण और ड्रायवर राकेश को भी चोटें आयी थी । दोनों गाडी में फंस गये थे, जिन्हें राहुल और अन्य लोगों ने निकाला था ।

श्रवण और राकेश की मृत्यु हो गयी थी। उसे श्रवण और राकेश को ठीकरी अस्पताल आये थे तथा उनको छोड़कर थाने पर रिपोर्ट करने आया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 161/10 दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल से उक्त ट्रक को जप्त कर मृतक के शव का परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन ट्रक का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया तथा संपूर्ण अनुसंधान पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोग पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (2 शीर्ष), 304-ए (2 शीर्ष), भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

04. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

क्रमांक	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.09.2010 को समय 07:00 बजे, स्थान-घोलानिया फाटा, ए.बी रोड़ पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-9044 को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाया, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर आहत राकेश, भारत, एवं लक्ष्मण को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर सावन एवं राकेश को टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

—:: निष्कर्ष के कारण ::—

05. अभियोजन द्वारा घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी राकेश (अ.सा.1), बबनराव चौधरी (अ.सा.2), राहुल (अ.सा.3), देवीसिंह (अ.सा.4), डॉक्टर आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5), राकेश (अ.सा.6), डॉ. पी.एस.चौहान (अ.सा.7) राजकिशोर सिंह चौहान (अ.सा.8) एवं भारत जाट (अ.सा.9) का परीक्षण कराया गया है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

06. प्रकरण में आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तीनों प्रश्न परस्पर सह

संबंधित होने से उक्त तीनों प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। राकेश (अ.सा.6) ने अपने कथन में बताया कि लगभग 02 वर्ष पूर्व की घटना हैं। घटना वाले दिन वह आयशर वाहन पर क्लिनरी करता था। घटना वाले दिन वह आयशर वाहन से चालक राकेश के साथ राजपुर से भोपाल मिर्ची लेकर जा रहे थे, उनके साथ मिर्ची मालिक भी था। बरूफाटक के पास खुरमपुरा पर उनकी आयशर वाहन के चालक ने सामने चल रहे वाहन को ओव्हर टेक किया तभी सामने से एक ट्रक आ गया जिससे उनके वाहन की टक्कर हो गयी तथा दुर्घटना में मिर्ची मालिक और चालक राकेश को चोटें आने से उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी, उसे भी चोटें आयी थी। उसका ईलाज ठीकरी अस्पताल में हुआ था उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी में की थी जो प्रदर्श पी-03 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-03 की रिपोर्ट में ट्रक का नम्बर एम.पी.09 जी.ई-9044 लिखवाया था तथा यह भी लिखवाया था कि ट्रक चालक ट्रक तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा डिवाइडर कास करके रांग साईड से घुसकर उनकी आयशर को सामने से टक्कर मार दी। बचाव पक्षी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फोरलेन का काम चलने से दूसरी साईड के वाहन भी एक ही साईड से आ रहे थे तथा सामने से आ रहे ट्रक को आयशर वाहन का चालक देख नहीं पाया इस कारण ओव्हर टेक करने में आयशर वाहन ट्रक से टकरा गयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया था कि उसने पुलिस को ट्रक क्रमांक नहीं बताया था और पुलिस ने उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर नहीं बतायी थी तथा उक्त रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवा लिये थे।

07. राकेश पिता कैलाशचन्द्र (अ.सा.01) तथा राहुल (अ.सा.03) ने आयशर वाहन की दुर्घटना होने और उसमें सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि राकेश और सावन की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी, जिन्हें ईलाज के लिये ठीकरी अस्पताल ले गये थे। राकेश (अ.सा.01) ने सफिना फॉर्म प्रदर्श पी-01 तथा नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 पर जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उनके सामने ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-9044 के चालक ने ट्रक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाकर आयशर वाहन को टक्कर मार दी थी। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कथन भी देने से इंकार किया है।

08. भारत जाट (अ.सा.09) ने उसके आयशर वाहन एम.पी.09 जी.ई 3941 के दुर्घटना की सूचना फोन पर मिलने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि दुर्घटना में राकेश और मिर्ची मालिक सावन की मृत्यु हो गयी थी। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को वह अपनी आयशर चला रहा था तथा ठीकरी की ओर से आ रहे वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.ई 9044 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर उसके वाहन को टक्कर मार दी यहाँ तक की साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-19 के कथन देने से भी इंकार किया है।

09. बबनराव चौधरी (अ.सा.02) ने दिनांक 22.09.2010 को थाना ठीकरी में फरियादी राकेश की रिपोर्ट के आधार पर ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-9044 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 161/10 प्रदर्श पी-03 का दर्ज करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी के कहे अनुसार प्रदर्श पी-03 की रिपोर्ट नहीं लिखी थी।

10. देवीसिंह (अ.सा.04) ने दिनांक 29.09.2010 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 161/10 में जप्त ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 9044 का मैकेनिकल परीक्षण कर प्रदर्श पी-05 का प्रतिवेदन देने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके पास वाहनों का परीक्षण करने के लिये कोई शासकीय योग्यता नहीं है।

11. डॉ. डी.एस.चौहान (अ.सा.07) ने दिनांक 23.09.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में मृतक सावन पिता मनोहर के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु सिर में आयी चोटों और मस्तिष्क की क्षति के कारण आना बताया है तथा अपना शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 प्रमाणित किया है। डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.05) ने दिनांक 23.09.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी से सैनिक मृतक राकेश पिता दयाराम के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु शरीर के कोमल अंग फोफड़े में आयी चोटों के कारण एवं शाक के कारण होना बताया है तथा अपना शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-06 प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने आहत लक्ष्मण पिता शोभाराम, राकेश पिता मनीराम एवं आरोपी आय्युब एवं भारत पिता रघुनाथ का मेडिकल परीक्षण कर उन्हें प्रदर्श पी-07 से लेकर प्रदर्श पी-10 में दर्शित चोटें आना बताया है।

12. राजकिशोर सिंह चौहान (अ.सा.08) का कथन है कि उसने विवेचना के दौरान मृतक सावन और राकेश के शव का पंचनामा हेतु सफिना फॉर्म प्रदर्श पी-01 और प्रदर्श पी-11 का जारी किया था तथा नक्शा लाश पंचनामा प्रदर्श पी-13 और प्रदर्श पी-14 बनाया था। उसने घटना स्थल ए.बी. रोड़ पहुंचकर नक्शामौका प्रदर्श पी-15 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उससे हस्ताक्षर है। उसने वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 3941 का नुकशानी पंचनामा प्रदर्श पी-16 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने दुर्घटना स्थल से दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई.- 9044 को दस्तावेजों सहित जप्त किया था। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने स्वीकार किया कि घटना स्थल एक व्यस्त मार्ग है। वहाँ से कई वाहन प्रतिदिन निकलते हैं लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

13. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना दिनांक स्थान और समय पर आरोपी द्वारा उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई.-9044 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर राकेश, भारत, तथा लक्ष्मण का जीवन संकटापन्न करने उक्त ट्रक की टक्कर आयशर क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 3941 को मारकर राकेश, भारत तथा लक्ष्मण को उपहति कारित करने एवं श्रवण एवं राकेश की मृत्यु ऐसे परिस्थितियों में कारित करने जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यह तक की घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई.-9044 चलाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है और उसे उक्त अपराधों या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपीत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते

हुए धारा 279, 337, (2 शीर्ष) 304-ए भा0द0सं0 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने की संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाए।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई 9044 उसके पंजीकृत स्वामी शेहजाद कुरेशी पिता सलीम कुरेशी एच.नं.12/14 साऊथ गफुर खां की बजरीया इन्दौर को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी